भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 441

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का अन्वेषण

441. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के कई राज्यों में ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कोयला आधारित मीथेन और भूमिगत कोयला गैसीकरण जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का अन्वेषण कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पहलों में वर्तमान में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) मंत्रालय कई राज्यों में कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं विशेष रूप से पुनर्वनीकरण प्रयासों और कानूनी नियमों के अनुपालन से संबंधित चिंताओं का समाधान किस रीति से कर रहा है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और अन्य राज्यों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादक राज्यों के साथ सहयोग कर रही है, जिसमें कोई विशिष्ट समझौता या परियोजनाएं शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार ने कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के विकास के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं

i. देश में सीबीएम क्षमता का उपयोग करने के लिए, भारत सरकार ने 1997 में सीबीएम नीति तैयार की, जिसमें प्राकृतिक गैस होने के नाते सीबीएम का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा प्रशासित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 (ओआरडी अधिनियम 1948) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 (पी एंड एनजी नियम 1959) के प्रावधानों के तहत अन्वेषण और दोहन किया जाता है।

ii. सीबीएम के विकास के लिये सहकारी तरीके से कार्य करने हेतु कोयला मंत्रालय (एमओसी) और एमओपीएनजी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए थे। नीति के अनुसार, देश में सीबीएम के विकास के लिए एमओपीएनजी प्रशासनिक मंत्रालय बन गया और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडल एजेंसी बनाया गया। एमओपीएनजी ने कोयला मंत्रालय (एमओसी) के परामर्श से कोयला-धारक क्षेत्रों में स्थित सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की और पेशकश की।

iii. वर्तमान में, कुल 15 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं। इन 15 ब्लाकों में से, 6 उत्पादन चरण में हैं, 2 विकास चरण में हैं और 7 अन्वेषण चरण में हैं।

iv. इसके अतिरिक्त, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने झरिया कोलफील्ड में कोयला खनन के लिए मौजूदा पट्टा क्षेत्र के भीतर झरिया सीबीएम ब्लॉक-I का निर्धारण किया है। ब्लाक अन्वेषण चरण में है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के संबंध में झारखंड में जामताड़ा जिले के कास्ता (पश्चिम) कोयला ब्लाक में भारतीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में यूसीजी प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए दो चरणों में कार्यान्वयन हेतु एक प्रायोगिक आरएंडडी परियोजना शुरू की गई है। वर्तमान में चरण-I के दौरान, स्थल अभिलक्षणन और संयंत्र स्थल चयन के लिए परियोजना गतिविधि की जा रही है।

(ख) : सरकार ने कोयला खनन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए, विशेष रूप से वनीकरण के प्रयासों और कानूनी विनियमों के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) नई खान खोलने के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम एवं नियम, 1986, ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद में किए गए संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। ईसी शर्तों का अनुपालन करते हुए खानों का प्रचालन किया जाता है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित हो सके।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में वन भूमि वाली परियोजनाओं के मामले में एमओईएफएंडसीसी से पूर्व वानिकी मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।

(iii) विस्तार परियोजनाओं (उत्पादन क्षमता और/अथवा भूमि क्षेत्र में वृद्धि हेतु) के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम, 1986, ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों के अंतर्गत एमओईएफएंडसीसी से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जाती है।

(iv) ईसी प्राप्त होने के बाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और प्रचालन के लिए सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती है।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, एमओईएफएंडसीसी को निर्धारित ईसी शर्तों के लिए छमाही पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(vi) ईसी/सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन में, परिवेशी वायु गुणवत्ता, बहिस्राव गुणवत्ता, ध्वनि स्तर की निगरानी और भूजल (दोनों स्तरों और गुणवत्ता) के संबंध में नियमित रुप से पर्यावरणीय निगरानी की जाती है और रिपोर्टें एमओईएफएंडसीसी/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vii) संविधि के अनुपालन में, प्रत्येक प्रचालनरत खान के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक पर्यावरणीय (लेखा परीक्षा) विवरण संबंधित एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को अथवा इससे पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(viii) ईसी और सहमति शर्तों के अनुपालन में, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संधारणीयता उपाय किए जाते हैं जिनका नियमित रूप से संवर्धन/सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

(ix) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान, अवसंरचना और सड़कों जैसे वायु प्रदूषण के स्रोत के आसपास वृक्षारोपण किया जाता है; ध्वनि कम करने के लिए खान के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी के आसपास ग्रीन बेल्ट प्रदान की गई है। मौजूदा और नई परियोजनाओं में एवेन्यू वृक्षारोपण अर्थात ओबी डंप पर वृक्षारोपण, खानों के आसपास वृक्षारोपण, आवासीय कालोनियों और उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है।

(x) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) का अनुपालन किया जाता है और सीए, मृदा और नमी संरक्षण उपायों, सुरक्षा क्षेत्रों में पौधरोपण आदि के लिए सीएएमपीए खाते में आवश्यक निधि जमा की जाती है। सुदूर संवेदन तकनीक (उपग्रह चित्र) के माध्यम से भूमि पुनरूद्धार की नियमित निगरानी भी की जाती है।

(xi) खान बंद करने की योजना कोयला खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। उद्देश्य अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य को सतत रूप से प्राप्त करना और खान को अंतिम रूप से बंद करने के बाद भावी पीढ़ियों के लिए भूमि उपयोग सुनिश्चित करना है।

(ग) : केन्द्र सरकार कोयले की उपलब्धता बढ़ाने तथा सभी राज्यों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादक राज्यों के साथ सहयोग कर रही है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने एक दीर्घावधिक उत्पादन रोडमैप तैयार किया है और इसे अंतिम रूप दिया है जिसमें आनुपातिक ऑफटेक के साथ वर्ष 2029-30 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। उत्पादन और ऑफटेक में वृद्धि के साथ, सरकार का विद्युत क्षेत्र की अधिकांश घरेलू मांग को पूरा करने का उद्देश्य है।

*****